



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/129

विवि.सीएपी.आरईसी.सं.70/21.06.201/2024-25

25 मार्च 2025

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए समय-समय पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु, संदर्भ के लिए इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देश/अनुदेश/निदेशों को शामिल करते हुए [मास्टर निदेश](#) तैयार किया गया है। इस निदेश में मौजूदा दिशानिर्देशों के उपयुक्त संशोधन और युक्तिकरण भी शामिल है।

3. यह निदेश आरबीआई द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों और सक्षमकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीया

(उषा जानकीरामन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

विषय-सूची

अध्याय I: प्रस्तावना.....	3
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.....	3
2. प्रयोज्यता.....	3
3. उद्देश्य	3
4. परिभाषाएँ.....	3
अध्याय II: विनियामकीय पूंजी की संरचना.....	4
5. न्यूनतम विनियामकीय पूंजी	4
6. पूंजी निधियों की परिभाषा	5
अध्याय III: जोखिम भारत आस्तियों की गणना	8
7. जोखिम समायोजित आस्तियां और तुलन पत्रेतर मर्दे.....	8
अध्याय IV: रिपोर्टिंग	8
8. रिपोर्टिंग	8
अध्याय V: निरसन और अन्य प्रावधान.....	9
9. निरसन प्रावधान	9
10. अन्य नियम का लागू होना वर्जित नहीं.....	9
11. व्याख्या	9
अनुबंध I.....	10
अनुबंध II.....	14
अनुबंध II का परिशिष्ट.....	23
अनुबंध III	26
अनुबंध IV	30

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे रिज़र्व बैंक कहा जाएगा), इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I: प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(ए) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

(बी) यह निदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे।

2. प्रयोज्यता

यह निदेश सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू होंगे।

3. उद्देश्य

इस मास्टर निदेश में बैंकों द्वारा उनके जोखिमों और उसके घटकों के अनुरूप प्रदान की जाने वाली पूंजी के बारे में निदेश शामिल हैं। यह निदेश पूंजी पर्याप्तता के दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण मानदंडों को निर्दिष्ट करने का काम करते हैं। आरआरबी को विशिष्ट लिखतों/उत्पादों/गतिविधियों में लेनदेन करने की अनुमति समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमन, निदेशों और दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगी।

4. परिभाषाएँ

4.1 इस मास्टर निदेश में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

(ए) "क्रेडिट जोखिम" को इस संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है कि बैंक उधारकर्ता अथवा प्रतिपक्ष सहमत शर्तों के अनुसार अपनी देयताएं पूरा नहीं कर पाएं। यह उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षकारों की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी से संबद्ध हानि की संभावना भी हो सकती है।

(बी) "आस्थगित कर आस्तियां" और "आस्थगित कर देयताएं" का वही अर्थ होगा जो लागू लेखांकन मानकों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

(सी) "व्युत्पन्नी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45यू(ए) में निर्दिष्ट है।

(डी) "सामान्य प्रावधान और आरक्षित हानि निधि" में बैंक की बहियों में दर्शित सामान्य प्रकृति के ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो किसी पहचाने गए संभावित हानी अथवा किसी आस्तिअथवाज्ञात देयता के मूल्य में हास के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

(ई) "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित [आरक्षित नकदी निधि अनुपात \(सीआरआर\) और सांविधिक चलनिधि अनुपात \(एसएलआर\) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश - 2021](#) के खंड 3(xxiii) के तहत परिभाषित किया गया है।

(एफ) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का वही अर्थ होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की उप-धारा 2(72) के तहत परिभाषित किया गया है।

4.2 अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जब तक कि उन्हें यहां परिभाषित न किया जाए, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों अथवा किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने, जैसा भी मामला हो, के अनुसार प्रदान किया गया हो।

अध्याय II: विनियामकीय पूंजी की संरचना

5. न्यूनतम विनियामकीय पूंजी

आरआरबी को निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है। बैंक सीआरएआर की गणना निम्न तरीके से करेगा:

$$\frac{\text{कुल पूंजी (सीआरएआर)}}{\text{कुल जोखिम भारित आस्तियां}} = \frac{\text{पात्र पूंजी निधि}}{\text{कुल जोखिम भारित आस्तियां}}$$

जहाँ, कुल जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की गणना आरडब्ल्यूए और अन्य तुलन पत्रेतर जोखिमों के योग के रूप में की जाती है, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 7 में उल्लिखित है।

6. पूंजी निधियों की परिभाषा

पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य के लिए पूंजी निधि में टियर 1 और टियर 2 पूंजी शामिल होगी।

6.1 टियर 1 पूंजी

6.1.1 टियर 1 पूंजी के घटक

टियर 1 पूंजी के आधार हैं:

(ए) चुकता शेयर पूंजी

(बी) शेयर प्रीमियम, यदि कोई हो, जो शेयरों के जारी करने पर उत्पन्न होता है

(सी) शेयर पूंजी जमा

(डी) सांविधिक और अन्य निर्बंध आरक्षित निधि¹

(ई) आस्तियों की बिक्री आय से उत्पन्न अधिशेष को दर्शाने वाली पूंजी आरक्षित निधि

(एफ) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों, जो बैंक की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उसकी वहन राशि में परिवर्तन से उत्पन्न होती है, उसे 55 प्रतिशत की छूट पर टियर 1 पूंजी के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(i) बैंक अपनी इच्छा से संपत्ति को आसानी से बेच सकता है और संपत्ति को बेचने में कोई कानूनी बाधा नहीं हो;

(ii) पुनर्मूल्यांकन भंडार बैंक के तुलनपत्र में अनुसूची 2: आरक्षित निधि और अधिशेष के अंतर्गत दिखाए जाते हो;

(iii) पुनर्मूल्यांकन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार यथार्थवादी हो;

(iv) मूल्यांकन दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से, कम से कम हर तीन साल में एक बार प्राप्त किए जाते हो;

(v) जहां किसी घटना के कारण संपत्ति का मूल्य काफी अपसामान्य हो गया है, वहां इनका तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पूंजी पर्याप्तता गणना में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए;

(vi) बैंक के बाहरी लेखा परीक्षकों ने संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर कोई सापेक्ष टिप्पणी नहीं की हो;

(vii) संपत्तियों के मूल्यांकन और अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं पर अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है, जैसा कि 22 जून 2009 को 'संपत्तियों का मूल्यांकन - मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल' पर [परिपत्र](#)

[आरपीसीडी.के.आर.आरबी.बी.सी.सं.115/03.05.33/2008-09](#) में उल्लेख किया गया है।

¹ मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार (मास्टर निदेश के पैराग्राफ 22 का संदर्भ लें - [भारतीय रिज़र्व बैंक \(वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण\) निदेश, 2021](#)), आरआरबी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिज़र्व पर डीटीएल के लिए प्रावधान करेंगे। ऐसे रिज़र्व मुक्त रिज़र्व का हिस्सा हैं और इन्हें टियर 1 पूंजी में शामिल किया जा सकता है।

नोट: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि जो टियर 1 पूंजी के रूप में योग्य नहीं हैं, वह टियर 2 पूंजी के रूप में भी अहर्क नहीं होगी। बैंक अपने विवेक पर टियर 1 पूंजी अथवा टियर 2 पूंजी में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि की गणना कर सकता है, बशर्ते कि ऊपर निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों।

(जी) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में शेष राशि।

(एच) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई), जो [अनुबंध 1](#) में विनिर्दिष्ट विनियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, निम्न पैरा 6.1.2 में निर्धारित सीमाओं के अधीन, टियर 1 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

6.1.2 टियर 1 पूंजी में सीमाएँ

(ए) निम्न पैरा 6.1.3 के अनुसार विनियामकीय समायोजन/कटौती के बाद कुल टियर 1 पूंजी आरडब्ल्यूए के 7 प्रतिशत से कम नहीं हो।

(बी) 7 प्रतिशत की न्यूनतम टियर 1 पूंजी में से, पीडीआई कुल आरडब्ल्यूए के 1.5 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

(सी) आरडब्ल्यूए के 1.5 प्रतिशत से अधिक पीडीआई के माध्यम से जुटाई गई कोई भी अतिरिक्त राशि भी टियर 1 पूंजी के रूप में गिनी जा सकती है।

बशर्ते कि बैंक ऐसी अतिरिक्त राशियों की गणना करने से पहले आरडब्ल्यूए के 7 प्रतिशत की न्यूनतम टियर 1 पूंजी का अनुपालन करता हो।

6.1.3 पूंजी से विनियामकीय समायोजन/कटौतियाँ

6.1.3.1 निम्नलिखित मदों को टियर 1 पूंजी से पूरी तरह से घटाया जाएगा:

(ए) गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियां

(बी) चालू वर्ष में हानि और पिछले वर्षों से आगे लाई गई हानि

(सी) परिभाषित लाभ पेंशन आस्तियां और देयताएँ: तुलन पत्र में शामिल परिभाषित लाभ पेंशन निधि देयताओं को टियर 1 पूंजी की गणना में पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए (अर्थात्, इन देयताओं को मान्यता न देने पर टियर 1 पूंजी को बढ़ाया नहीं जा सकता)। प्रत्येक परिभाषित लाभ के लिए पेंशन निधि जो तुलन पत्र पर एक आस्ति है, टियर 1 की गणना करते समय उस आस्ति को घटाया जाना चाहिए।

नोट 1: निम्नलिखित मदें, यदि पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा पहचानी जाती हैं, तो उन्हें भी टियर 1 पूंजी से घटाया जाएगा:

(i) एनपीए प्रावधानों में घाटा²

² आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार विनियामकीय आवश्यकताओं की तुलना में बैंक द्वारा किए गए एनपीए प्रावधानों में कमी, यदि कोई हो, को संदर्भित करता है।

(ii) गैर-निष्पादित आस्तियों पर गलत तरीके से पहचान की गई आय

(iii) बैंक पर हस्तांतरित देयता के लिए आवश्यक प्रावधान, और ऐसी ही अन्य राशियाँ।

नोट 2: समय-समय पर यथा-संशोधित [दिनांक 30 अगस्त, 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक \(वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण\) निदेश, 2021](#) के अनुसार, पेंशन से संबंधित अशोध व्यय आरआरबी की टियर 1 पूंजी से घटाया नहीं जाएगा।

6.1.3.2 आस्थगित कर आस्तियों का निरूपण

(ए) संचित घाटे और ऐसी अन्य आस्तियों से जुड़ी आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) को टियर 1 पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया जाएगा।

(बी) डीटीए जो समय अंतर से संबंधित हैं (संचित हानि से संबंधित के अतिरिक्त), टियर 1 पूंजी से पूर्णतः कटौती के बदले, बैंक की टियर 1 पूंजी का 10% तक टियर 1 पूंजी में अभिनिर्धारित किया जाए (सभी विनियामकीय समायोजन की प्रयोज्यता के उपरांत)।

(सी) टियर 1 पूंजी से कटौती की जानेवाली डीटीए राशि को संबद्ध आस्थगित कर देनदारियों (डीटीएल) के साथ निर्धारित किया जाए,

बशर्ते कि:

- डीटीए और डीटीएल दोनों एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हैं और संबंधित कराधान प्राधिकरण द्वारा ऑफसेट करने की अनुमति दी गई है;
- डीटीए पर जमा किए जाने की अनुमति प्राप्त डीटीएल में उन राशियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो गुडविल (साख), अमूर्त और परिभाषित लाभ पेंशन आस्तियों की कटौती के लिए जमा की गई हैं; और
- डीटीएल को डीटीए के बीच आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए, जो कि उपरोक्त (ए) और (बी) के अनुसार टियर 1 पूंजी से कटौती के अधीन है।

6.2 टियर 2 पूंजी

6.2.1 टियर 2 पूंजी के घटक

(ए) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि

सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां को कुल आरडब्ल्यूए के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक टियर 2 पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

बशर्ते कि, बैंकों द्वारा इसे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि टियर 2 पूंजी के भाग के रूप में सामान्य प्रावधान की किसी भी राशि पर विचार करने से पहले सभी ज्ञात हानियों और पूर्वानुमानित संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(बी) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

बैंक, निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में शेष राशि की पूरी राशि टियर 2 पूंजी में शामिल कर सकते हैं।

नोट: सामान्य प्रावधानों और हानि आरक्षित निधियों को टियर 2 पूंजी के रूप में मान्यता देने पर लागू सीमा आईएफआर पर लागू नहीं होती।

6.2.2 टियर 2 पूंजी की सीमाएं

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अनुपालन के उद्देश्य से टियर 2 तत्वों का योग टियर 1 तत्वों के योग के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

अध्याय III: जोखिम भारित आस्तियों की गणना

7. जोखिम समायोजित आस्तियां और तुलन पत्रेतर मदें

जोखिम समायोजित आस्तियों का अभिप्राय वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित वस्तुओं का भारित योग है। प्रतिशत भार के रूप में अभिव्यक्त किए गए क्रेडिट जोखिम की डिग्री तुलन-पत्र आस्तियों और तुलनपत्रेतर मदों में संपरिवर्तनकारी कारकों को दी गई है। बैंक, प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य को संगत भारांश से गुणा करेंगे ताकि आस्तियों और तुलन पत्रेतर मदों का जोखिम-समायोजित मूल्य तैयार हो सकें। कुल योग से कुल आरडब्ल्यू का गठन होगा जिसे सीआरएआर की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। तुलन पत्र आस्तियों और तुलन पत्रेतर मदों की प्रत्येक श्रेणी को आवंटित भार [अनुबंध II](#) में दिया गया है।

अध्याय IV: रिपोर्टिंग

8. रिपोर्टिंग

बैंक संबंधित नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को [अनुबंध-III](#) में दिए गए प्रारूप में पूंजीगत निधि और जोखिम आस्ति अनुपात दर्शाते हुए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेंगे। रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत दो अधिकारियों द्वारा विवरण पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वार्षिक लेखा को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय V: निरसन और अन्य प्रावधान

9. निरसन प्रावधान

इन निदेशों के जारी होने के साथ ही [अनुबंध-IV](#) में उल्लिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाएंगे। उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को इन निदेशों के अंतर्गत दिए गए है, माना जाएगा। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं में उपरोक्त निरसित परिपत्रों के संदर्भ वाले किसी भी संदर्भ का अर्थ निरसन की तारीख के बाद इन निदेशों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 से है। ऐसे निरसन के बावजूद, निरसित परिपत्रों के अंतर्गत की गई अथवा शुरू की गई कोई कार्रवाई उक्त परिपत्रों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती रहेगी।

10. अन्य नियम का लागू होना वर्जित नहीं

इन निदेशों के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका न्यूनीकरण नहीं किया जाएगा।

11. व्याख्या

इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अथवा इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने अथवा व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यदि आवश्यक समझा जाता है तो इन निदेशों में शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए स्थायी ऋण लिखतों पर लागू नियम और शर्तें

स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) जिसे आरआरबी द्वारा बांड अथवा डिबेंचर के रूप में जारी किया जाता है उन्हें पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा:

1. पीडीआई जारी करने की शर्तें

(ए) राशि:

आरआरबी केवल भारतीय मुद्रा में पीडीआई जारी करेंगे। पीडीआई की जुटाई जाने वाली राशि का निर्णय बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा।

(बी) प्रदत्त स्थिति:

बैंक द्वारा लिखत जारी किए जाने चाहिए (अर्थात् इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा स्थापित किसी 'एसपीवी' आदि द्वारा नहीं) और पूर्णतः प्रदत्त किए जाने चाहिए।

(सी) सीमा:

न्यूनतम टियर 1, 7 प्रतिशत के भीतर होगा और पीडीआई कुल आरडब्ल्यूए के 1.5 प्रतिशत तक सीमित होगा। आरडब्ल्यूए के 1.5 प्रतिशत से अधिक पीडीआई के माध्यम से जुटाई गई किसी भी अतिरिक्त राशि की गणना भी टियर 1 पूंजी के रूप में की जाएगी बशर्ते कि बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्त राशियों की गणना करने से पहले आरडब्ल्यूए की 7 प्रतिशत की न्यूनतम टियर 1 पूंजी का अनुपालन किया जाता हो।

(डी) परिपक्वता अवधि:

यह लिखत स्थायी होंगे अर्थात्, इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होगी और इन्हें भुनाने के लिए कोई वृद्धिशील अथवा अन्य प्रोत्साहन नहीं हैं।

(ई) ब्याज दर:

- (i) निवेशकों को देय ब्याज अथवा तो निश्चित दर पर अथवा बाजार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर के संदर्भ में अस्थिर दर पर देय होगा।

- (ii) इस लिखत में क्रेडिट संवेदी कूपन सुविधा नहीं हो सकती है, अर्थात्, ऐसा कूपन जिसे समय-समय पर बैंकों की क्रेडिट स्थिति के आधार पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पुनःनिर्धारित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, व्यापक सूचकांक सहित कोई भी संदर्भ दर जो बैंक की अपनी ऋण पात्रता में परिवर्तन और/अथवा व्यापक बैंकिंग क्षेत्र की ऋण पात्रता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, उसे क्रेडिट संवेदी संदर्भ दर के रूप में माना जाएगा।

(एफ) विकल्प:

पीडीआई 'विक्रय विकल्प (पुट ऑप्शन)' अथवा 'वृद्धिशील विकल्प (स्टेप-अप ऑप्शन)' के साथ जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, आरआरबी निम्नलिखित प्रत्येक शर्त का कड़ाई से अनुपालन करते हुए क्रय (कॉल) विकल्प वाले लिखत जारी कर सकते हैं:

- (i) लिखत की न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि पूरी होने बाद ही क्रय (कॉल) विकल्प का प्रयोग किया जाएगा; और
- (ii) क्रय (कॉल) विकल्प का प्रयोग केवल आरबीआई (विनियमन विभाग) के पूर्वानुमोदन से किया जाएगा। क्रय (कॉल) विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, क्रय (कॉल) विकल्प का प्रयोग के समय तथा क्रय (कॉल) विकल्प के प्रयोग के पश्चात, दोनों ही स्थितियों में बैंक की सीआरएआर स्थिति पर विचार किया जाएगा।

(जी) अवरुद्धता (लॉक-इन) खंड:

- (i) पीडीआई अवरुद्धता (लॉक-इन) खंड के अधीन होना चाहिए और इस खंड के अनुसार जारीकर्ता बैंक, ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि

(ए) बैंक का सीआरएआर, आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम है।

अथवा

(बी) इस प्रकार के भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का, जोखिम आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से नीचे आ जाता है अथवा उससे नीचे रहता है।

- (ii) तथापि, आरआरबी द्वारा आरबीआई के पूर्वानुमोदन से ब्याज का भुगतान किया जा सकता है, जब ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप निवल हानि हो सकती है अथवा निवल हानि में वृद्धि हो सकती है, बशर्ते सीआरएआर विनियामक मानदण्ड से ऊपर बना रहे। इस प्रयोजन के लिए, 'निवल हानि' का

अर्थ होगा अथवा तो (क) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक संचित हानि; अथवा (बी) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि।

(iii) ब्याज संचयी नहीं होगा।

(iv) अवरुद्धता (लॉक-इन) खंड लागू करने के सभी मामलों को जारीकर्ता बैंकों द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक और पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

(एच) दावे की वरीयता:

पीडीआई में निवेशकों के दावे:

- (i) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से अधिमानी; और
- (ii) अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन।

(आई) छूट:

पीडीआई को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए प्रगामी छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि यह स्थायी हैं।

(जे) अन्य शर्तें:

- (i) पीडीआई पूर्णतः प्रदत्त, अरक्षित और किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त होना चाहिए।
- (ii) आरआरबी को लिखतों को जारी करने के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों, यदि कोई है, का पालन करना चाहिए।

2. आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन

पीडीआई के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाएं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मियादी देयताओं की गणना के देयता के रूप में नहीं गिना जाएगा और इस प्रकार सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होगी।

3. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

पीडीआई जारी करने वाले आरआरबी, मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई को उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विषय की शर्तों सहित लिए गए ऋण का ब्यौरा देते हुए समस्या का समाधान होने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति के साथ रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे।

4. पीडीआई में निवेश

(ए) आरआरबी सहित अन्य बैंकों द्वारा जारी पीडीआई में आरआरबी निवेश नहीं करेंगे।

(बी) आरआरबी, खुदरा निवेशकों/एफपीआई/एनआरआई को पीडीआई जारी नहीं करेंगे।

5. पीडीआई के पर अग्रिम अनुदान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी पीडीआई की प्रतिभूति के आधार पर अग्रिम राशि प्रदान नहीं करनी चाहिए।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

आरआरबी पीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 4 – उधार' के अंतर्गत दर्शा सकते हैं।

विवेकपूर्ण मानदंड - सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार

I. घरेलू परिचालन

ए. निधिक जोखिम आस्तियाँ

आस्तियों की मर्दें		जोखिम भार	
I	शेष जमाराशियाँ		
	1	आरबीआई के पास नकदी एवं शेष	0
	2	अन्य बैंकों के चालू खाते में शेष	20
	3	बैंकों के पूंजीगत साधनों में निवेश के अतिरिक्त अन्य दावे (एचएफटी और एएफएस श्रेणी के बाहर रखे)	20
II	निवेश		
	1	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	2	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	3	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। (इसमें इंदिरा / किसान विकास पत्र (आईवीपी / केवीपी) में निवेश और बांड और डिबेंचर में निवेश शामिल होंगे जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है)	2.5
	4	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की वापसी की गारंटी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। नोट: प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान अथवा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है और जो गैर-निष्पादित निवेश बन गया है, में 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।	2.5
	5	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती गारंटी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है	22.5
	6	सरकारी उपक्रमों की सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जो अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं	22.5
	7	बैंकों के पूंजीगत लिखतों (एचएफटी अथवा एएफएस श्रेणी में धारित) में निवेश के अतिरिक्त अन्य दावे	22.5
8	प्रतिभूतियों में निवेश जो ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती के संबंध में बैंकों द्वारा गारंटीकृत हैं	22.5	

	9	सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई) द्वारा उनकी टियर 2 पूंजी के लिए जारी किए गए बांड में निवेश	102.5
	10	पीएफआई द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश सहित अन्य सभी निवेश	102.5
	11	इक्विटी शेयरों, संपरिवर्तनीय बांडों, डिबेंचर, बैंकों के पूंजीगत लिखत और इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनमें पूंजी बाजार एक्सपोजर से छूट प्राप्त इकाइयां भी शामिल हैं	127.5
III	खरीदे गए और भुनाए गए बिलों और अन्य क्रेडिट सुविधाओं सहित ऋण और अग्रिम		
	1	<p>भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण और अग्रिम नोट:</p> <p>(i) केंद्र सरकार के एक्सपोजर के दावों पर लागू जोखिम भार भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआईसीजीसी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) तथा निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत व्यक्तिगत योजनाओं के दावों पर भी लागू होगा, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं।</p> <p>(ii) उपरोक्त उल्लिखित शून्य प्रतिशत का जोखिम भार सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा अथवा भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिमों के संबंध में लागू होगा, जो अनुबंध II के परिशिष्ट में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं।</p>	0
	2	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण	20
	3	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जो अनर्जक आस्तियां बन गया है	100
	4	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
	5	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
	6	पीएफआई सहित अन्य	100
	7	ऋण जोखिम के प्रयोजन के लिए, एल.सी. के अंतर्गत खरीदे गये / भुनाया/ परक्रामितबिलों (जहां लाभार्थी को भुगतान आरक्षित नहीं है) को एल.सी. जारी करने वाले बैंक पर एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जोखिम भार सौंपा जाता है, जैसा कि सामान्यतः अंतर-बैंक एक्सपोजर पर लागू होता है।	20
	8	रिज़र्व के अंतर्गत एल.सी. के परक्रामित बातचीत किए गए बिल, एल.सी. के बिना खरीदे गये/भुनाये गये/ परक्रामित बिल, उधारकर्ता घटक पर एक्सपोजर के रूप में माने जाएंगे। तदनुसार, जोखिम उधारकर्ता के लिए उपयुक्त जोखिम भार को आकर्षित करेगा।	
	(i)	सरकार	0

	(ii)	बैंक	20
	(iii)	अन्य	100
9	वैयक्तिक को आवास ऋण		
	ऋण की श्रेणी		एलटीवी अनुपात (%)
	(ए) ₹ 20 लाख तक		90
	(बी) ₹ 20 लाख से अधिक और ₹ 75 लाख तक		80
	(सी) ₹ 75 लाख से अधिक		75
10	उपभोक्ता ऋण, जिसमें वैयक्तिक ऋण शामिल हैं, परंतु आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और सोने तथा सोने के आभूषणों द्वारा जमानती ऋण शामिल नहीं हैं।		125
11	सूक्ष्म वित्त ऋण		100
12	वाहन ऋण		100
13	सोने और चांदी के आभूषणों पर 1 लाख रुपये तक का ऋण		50
14	सोने और चांदी के आभूषणों पर ₹ 1 लाख से अधिक का ऋण नोट: संपूर्ण ऋण राशि का जोखिम भार 100% होना चाहिए		100
15	शिक्षा ऋण		100
16	शेयरों/डिबेंचर की प्राथमिक/समर्थक जमानत पर दिए गए ऋण		125
17	डीआईसीजीसी /ईसीजीसी द्वारा कवर किए गए अग्रिम नोट: 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होना चाहिए, न कि खातों में संपूर्ण बकाया राशि तक। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशि पर 100% जोखिम भार होगा।		50
18	सावधि जमा, जीवन बीमा पॉलिसियों, एनएससी, आईवीपी और केवीपी के लिए अग्रिम जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो		0
19	अपने कर्मचारियों को आरआरबी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम		20
20	अंतरण (टेकआउट) वित्त		
	(i) बिना शर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली संस्था की बही में)		
	(ए)	जहां पूर्ण ऋण जोखिम अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाता है	20
	(बी)	जहां संस्था को अधिग्रहित करके केवल आंशिक ऋण जोखिम ग्रहण किया जाता है	
		(i) राशि ली जाने वाली	20
	(ii) वह राशि जो नहीं ली जानी है	100	

	(ii) सशर्त अधिग्रहण (ऋण देने और अधिग्रहण करने वाली संस्था की बही में)	100
	<i>नोट: जोखिम भार के निर्धारण के उद्देश्य से उधारकर्ता के कुल वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित एक्सपोजर की गणना करते समय, बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया जोखिम पर समायोजित ('नेट-ऑफ') कर सकते हैं -</i>	
	(ए) नकद मार्जिन अथवा जमा राशि द्वारा संपार्श्विक अग्रिम,	
	(बी) उधारकर्ता के चालू अथवा अन्य खातों में जमा शेष राशि जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं है और किसी ग्रहणाधिकार से मुक्त है,	
	(सी) किसी भी ऐसी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यहास अथवा अशोध कर्ज के लिए प्रावधान किए गए हैं,	
	(डी) डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी से प्राप्त दावों को समायोजन तक एक अन्य खाते में रखा जाएगा, यदि इन्हें संबंधित खातों में शेष राशि पर समायोजित नहीं किया जाता है,	
	(ई) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी को अलग खाते में रखा जाता है।	
IV	अन्य आस्तियां	
	1 परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर (विषयवस्तु)	100
	2 सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	3 आरबीआई के पास रखे गए सीआरआर शेष राशि पर उपचित ब्याज - @ ऐसे लेनदेन के कारण बैंकों पर सरकार/ आरबीआई के दावों को घटाकर	0
	4 स्रोत पर आयकर कटौती (प्रावधान के बाद)	0
	5 अग्रिम कर का भुगतान (प्रावधान के बाद)	0
	6 स्टाफ ऋण पर प्राप्य ब्याज	20
	7 बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज	20
	8 भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ब्याज सहायता	0
	9 अन्य सभी आस्तियां	100
V	खुली स्थिति (ओपन पोजीशन) पर बाजार जोखिम	
	1 विदेशी मुद्रा खुली स्थिति पर बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत व्यापारों पर लागू)	100
	2 खुले सोने की स्थिति पर बाजार जोखिम	100

नोट: टियर 1 पूंजी से कटौती की गई गए अमूर्त आस्तियों और हानि को शून्य भार दिया जाना चाहिए।

बी. तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदें

तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों से जुड़े क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर की गणना सबसे पहले तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों में से प्रत्येक के अंकित मूल्य को 'ऋण संपरिवर्तन कारक' से गुणा करके की जानी चाहिए, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। इसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट सुसंगत प्रतिपक्षकार को दिए जाने वाले भार से पुनः गुणा करना होगा।

क्र सं.	लिखत	ऋण रूपांतरण कारक (%)	
1	प्रत्यक्ष ऋण विकल्प जैसे, ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अतिरिक्त वैकल्पिक (स्टैंडबाय) एल/सी सहित) और स्वीकृतियां (स्वीकृति के स्वरूप के साथ समर्थन सहित)	100	
2	कुछ लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (जैसे, निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन से संबंधित वैकल्पिक (स्टैंडबाय) एल/सी)	50	
3	अल्पावधि स्व-परिसमापन व्यापार-संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे अंतर्निहित शिपमेंट द्वारा संपार्श्विक दस्तावेजी क्रेडिट)	20	
4	बिक्री और पुनर्खरीद करार और रिकोर्स के साथ आस्ति की बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक के पास रहता है	100	
5	अग्रिम आस्ति खरीद, अग्रिम जमा और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर और प्रतिभूतियां, जो निश्चित निकासी के साथ प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं	100	
6	नोट जारी करने की सुविधाएं और परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं	50	
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (जैसे, औपचारिक अतिरिक्त वैकल्पिक (स्टैंडबाय) सुविधाएं और क्रेडिट लाइनें)	50	
8	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली समान प्रतिबद्धताएं, अथवा जिन्हें किसी भी समय बिना शर्त रद्द किया जा सकता है। नोट: बैंकिंग प्रणाली से 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले उधारकर्ताओं के संबंध में, स्वीकृत नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा का न निकाला गया हिस्सा, चाहे बिना शर्त रद्द योग्य हो अथवा नहीं, 20 प्रतिशत का ऋण संपरिवर्तन कारक आकर्षित करेगा।	0	
9	(i)	बैंकों द्वारा जारी की गई अन्य बैंकों की प्रति-गारंटियों पर गारंटियां	20
	(ii)	बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजी बिलों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल जिन्हें किसी अन्य बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें बैंक पर निधिक दावे के रूप में माना जाएगा।	20

क्र सं.	लिखत	ऋण रूपांतरण कारक (%)
	नोट: इन मामलों में, बैंकों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम वास्तव में दूसरे बैंक पर है।	
10	मूल परिपक्वता की कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएँ * -	
	(ए) 14 कैलेंडर दिनों से कम	0
	(बी) 14 कैलेंडर दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम	2
	(सी) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष अथवा उसके भाग के लिए	3
	* यदि बैंक ने नीचे भाग II के अनुसार द्विपक्षीय निवल निर्धारण दिशा-निर्देश को अपनाया है, तो विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए ऋण संपरिवर्तन कारक (सीसीएफ) नीचे भाग II में दूसरी सारणी में दिए गए अनुसार होगा और 14 कैलेंडर दिनों अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा अनुबंधों के लिए "शून्य" प्रतिशत का सीसीएफ लागू नहीं होगा।	

नोट: वर्तमान में, आरआरबी अधिकांश तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली लेनदेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि, विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों पर जोखिम-भार दर्शाया गया है, जिसे शायद बैंक भविष्य में अपना सकते हैं।

II. अतिरिक्त जोखिम भार (केवल प्राधिकृत व्यापारियों पर लागू)

1. विदेशी विनिमय संविदाएं

ए) विदेशी विनिमय संविदाओं में निम्नलिखित शामिल है:

- (i) पारस्परिक मुद्रा स्वैप
- (ii) वायदा विदेशी विनिमय संविदाएं
- (iii) मुद्रा फ्यूचर्स
- (iv) खरीदे गए मुद्रा विकल्प
- (v) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

बी) जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:

- (i) **चरण 1** - प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	5% (अर्थात्, 2% + 3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	3%

इस अनुबंध के पैरा 11.3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदाएं लागू होती हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे*:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	1.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	3.75% (अर्थात्, 1.5% + 2.25%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	2.25%

- (ii) **चरण 2** - जैसा कि ऊपर पैरा 1.ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

*टिप्पणी: वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं और अन्य समान संविदाओं जिसमें काल्पनिक मूलधन नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्ष को क्रेडिट एक्सपोजर की गणना के प्रयोजनों हेतु मूल क्रेडिट रूपांतरण कारक (अर्थात्, द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव पर विचार किए बिना) को सांकेतिक मूलधन पर लागू किया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर देय होने वाली निवल प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी स्थिति में उपर्युक्त घटाए गए कारकों को निवल काल्पनिक राशियों पर लागू नहीं किया जाए।

2. ब्याज दर संविदाएं

ए) ब्याज दर संविदाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप
- (ii) बेसिस स्वैप
- (iii) वायदा दर करार
- (iv) ब्याज दर फ्यूचर्स
- (v) खरीदे गए ब्याज दर विकल्प
- (vi) समान प्रकार की अन्य संविदाएं

बी) जैसा कि अन्य तुलनपत्रेतर मदों के मामले में किया जाता है, नीचे निर्धारित की गई दो-स्तरीय गणना का प्रयोग किया जाएगा:

- (i) **चरण 1** - प्रत्येक लिखत की सांकेतिक मूल राशि को नीचे दिए गए परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1%
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1%

इस अनुबंध के पैरा 11.3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदाएं लागू होती हैं, तो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परिवर्तन कारक लागू होंगे:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.35%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	0.75%
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	0.75%

- (ii) **चरण 2** - जैसा कि ऊपर पैरा 1.ए में दिया गया है, इस प्रकार प्राप्त समायोजित मूल्य को संबंधित प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

टिप्पणी: किसी विशेष लेनदेन के लिए जोखिम भार निर्धारित करने में किसी अनिश्चितता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

3. द्विपक्षीय नेटिंग संविदा की मान्यता हेतु अपेक्षा:

ए) बैंक निवल लेन-देन कर सकते हैं, जिसके तहत बैंक और उसके प्रतिपक्ष के बीच किसी दिए गए मूल्य की तारीख पर किसी मुद्रा को वितरित करने का कोई दायित्व, विधिक रूप से पिछले सकल दायित्व के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करते हुए स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है।

बी) बैंक निवल लेन-देन भी कर सकते हैं बशर्ते वे (ए) में शामिल नहीं किए गए द्विपक्षीय नेटिंग के किसी भी विधिक रूप से वैध हो, जिसमें अन्य प्रकार के नवप्रवर्तन भी शामिल हैं।

सी) दोनों मामलों (ए) और (बी) में बैंक को यह संतुष्ट करना होगा कि उसके पास:

- (i) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग संविदा या समझौता जो एक एकल विधिक दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि बैंक के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियों में से किसी भी कारणवश कार्य-निष्पादन करने में विफल रहने की स्थिति में शामिल व्यक्तिगत लेनदेन के धनात्मक और ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों के केवल निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा।
- (ii) लिखित और तर्कसंगत विधिक राय है कि, विधिक चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतों और प्रशासनिक प्राधिकरणों को इस तरह की बैंकों का एक्सपोज़र ऐसी निवल राशि के तहत मिलेगा:
- अधिकार क्षेत्र की विधि जिसमें प्रतिपक्षकार सनदी है और यदि प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस अधिकार क्षेत्र, जिसमें शाखा स्थित है, की विधि के तहत भी;
 - व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाली विधि; और
 - नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी संविदा या करार को नियंत्रित करने वाली विधि।
- (iii) प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की विधिक विशेषताओं की समीक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं।

डी) इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से नेटिंग के लिए विनिर्माग खंड (वॉकअवे क्लॉज) वाले अनुबंध पात्र नहीं होंगे। विनिर्माग खंड (वॉकअवे क्लॉज) एक ऐसा प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को यह अनुमति देता है कि वे चूककर्ता की आस्ति के लिए, केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता एक निवल लेनदार हो।

अनुबंध II का परिशिष्ट

शून्य प्रतिशत के जोखिम भार की प्रयोज्यता के लिए सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटीकृत जोखिमों के संबंध में पूरी की जाने वाली शर्तें

i. **विवेकपूर्ण पहलू:** संबंधित योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई गारंटियां, [01 अप्रैल 2025 के मास्टर परिपत्र – बासल III पूंजी विनियमावली](#), समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार ऋण जोखिम न्यूनीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए। अन्य आवश्यकताओं के अलावा, ऐसी गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त रहित होनी चाहिए।

ii. **अनुमेय दावों पर प्रतिबन्ध:** जहां गारंटी योजनाओं की शर्तें गारंटी कवरेज की विनिर्दिष्ट सीमा, सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा प्रथम हानि अवशोषण संबंधी खंड, भुगतान सीमा आदि जैसी विशेषताओं के माध्यम से अधिकतम अनुमेय दावों को प्रतिबंधित करती हैं, शून्य प्रतिशत जोखिम भार अधिकतम अनुमेय दावे तक सीमित होगा और अवशिष्ट एक्सपोजर को मौजूदा विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भार के अधीन किया जाएगा।

iii. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी पोर्टफोलियो-स्तरीय गारंटी के मामले में, एमएलआई द्वारा पहले नुकसान के अवशोषण, यदि कुछ है तो, के अधीन एक्सपोजर की सीमा पूर्ण पूंजी कटौती के अधीन होगी और अवशिष्ट एक्सपोजर, आनुपातिक आधार पर, विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भार के अधीन होगा। अधिकतम पूंजीगत प्रभार की सीमा पूरे एक्सपोजर को अगारंटीकृत मानते हुए तय किए गए अनुमानित स्तर पर तय की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशों के अधीन, शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र होने के लिए, 7 सितंबर 2022 के बाद उपर्युक्त न्यास निधियों में से किसी के भी तहत शुरू की गई कोई भी योजना पंजीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर पात्र गारंटीकृत दावों के निपटान की व्यवस्था करेगी और चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त विनियामक शर्त सभी बैंकों पर उस सीमा तक लागू होगी जहां तक वे संबंधित योजनाओं के तहत पात्र एमएलआई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

विशिष्ट मौजूदा योजनाओं के तहत गारंटीकृत दावों पर लागू जोखिम भार के कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

उदाहरण - उन क्रेडिट सुविधाओं पर लागू जोखिम भार (आरडब्ल्यू) जो विशिष्ट मौजूदा योजनाओं के तहत सुनिश्चित की गई हैं

(गारंटी कवरेज, पहली हानि का प्रतिशत और भुगतान कैप अनुपात को निम्नानुसार और संबंधित योजनाओं में यथासमय संशोधित किया जा सकता है)

योजना का नाम	गारंटी कवर	जोखिम भार
1. फ़ैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसएफ़)	चूक की राशि के 10% का पहला नुकसान फेक्टर द्वारा वहन किया जाना चाहिए। चूक की राशि का शेष 90% (यानी दूसरा नुकसान) क्रमशः 2: 1 के अनुपात में एनसीजीटीसी और फ़ैक्टर्स द्वारा वहन किया जाएगा।	<ul style="list-style-type: none"> • चूक में 10% राशि का पहला नुकसान – पूर्ण पूंजी कटौती • चूक में 60% राशि का वहन एनसीजीटीसी द्वारा किया जाता है - 0% आरडब्ल्यू • चूक में 30% शेष राशि प्रतिपक्षकार/विनियामकीय <u>खुदरा पोर्टफोलियो</u> (आरआरपी) आरडब्ल्यू यथा लागू <p>नोट : अधिकतम पूंजीगत प्रभार की सीमा पूरे एक्सपोज़र को अगारंटीकृत मानकर तय किए गए अनुमानित स्तर पर तय की जाएगी।</p>
2. कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसडी)	चूक की राशि का 75% गारंटीकृत दावों का 100% भुगतान ट्रस्ट द्वारा तब किया जाएगा जब वसूली के सभी रास्ते समाप्त हो जाएंगे और चूक की राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं होगी।	<ul style="list-style-type: none"> • चूक में पूर्ण राशि - प्रतिपक्षकार/विनियामकीय <u>खुदरा पोर्टफोलियो</u> (आरआरपी) आरडब्ल्यू यथा लागू।
3. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ़एमयू)	<u>सूक्ष्म ऋण</u> पहली हानि चूक में राशि के 3% की सीमा तक है। शेष राशि में से, गारंटी क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में चूक की राशि का अधिकतम 75% तक होगी।	<ul style="list-style-type: none"> • चूक में 3% राशि की पहली हानि - पूर्ण पूंजी कटौती चूक में राशि का 72.75% - 0% आरडब्ल्यू ((15%*सीपी)-सी)*[एसएलए/सीपी] अधिकतम के अधीन है जहाँ- ○ सीपी = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो (संस्वीकृत राशि)

योजना का नाम	गारंटी कवर	जोखिम भार
		<ul style="list-style-type: none"> ○ सी = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में पूर्व वर्षों में प्राप्त दावा, यदि कोई हो ○ एसएलए = क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो में प्रत्येक खाते की स्वीकृत सीमा ○ 15 प्रतिशत भुगतान की उच्चतर सीमा को दर्शाता है ● शेष राशि में चूक - प्रतिपक्षकार/ आरआरपी आरडब्ल्यू के अनुसार। <p>नोट: अधिकतम पूंजी शुल्क एक सांकेतिक स्तर पर सीमित किया जाएगा जो कि पूरी एक्सपोजर को अगारंटीकृत मानकर निर्धारित किया गया है।</p>
<p>4. सीजीटीएमएसई सूक्ष्म-उद्योगों के लिए गारंटीकृत कवरेज</p>	<p><u>₹5 लाख तक</u> ऋण में चूक की गई राशि का 85% अधिकतम ₹4.25 लाख तक</p> <p><u>₹5 लाख से ऊपर और ₹50 लाख तक</u> ऋण में चूक की गई राशि का 75% अधिकतम ₹37.50 लाख तक</p> <p><u>₹50 लाख से ऊपर और ₹200 लाख तक</u> चूक में राशि का 75% अधिकतम ₹150 लाख के अधीन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● चूक में गारंटीकृत राशि - 0% आरडब्ल्यू * ● चूक में शेष राशि - प्रतिपक्षकार /आरआरपी आरडब्ल्यू जैसा लागू हो।
<p>* सीजीटीएमएसई की भुगतान की उच्चतर सीमा के प्रावधानों के संदर्भ में, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किए गए शुल्क सहित 2 गुना की सीमा तक किया जाएगा। हालांकि, चूंकि शेष दावे अगले वर्ष में निपटाए जाएंगे जब स्थिति को सुधार लिया जाएगा, पूरे गारंटीकृत हिस्से को शून्य प्रतिशत जोखिम भार समनुदेश किया जा सकता है।</p>		

पूँजी निधियों, जोखिम आस्तियों/एक्सपोज़र और जोखिम आस्ति अनुपात का विवरण

भाग ए – पूँजी निधि और जोखिम आस्ति अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

I	पूँजी निधियाँ	
ए	स्तर 1 पूँजी तत्व	
	(ए) भुगतान की गई पूँजी	
	घटा: अमूर्त आस्तियां और हानियां	
	कुल	
	(बी) आरक्षित निधि और अधिशेष	
	1. सांविधिक आरक्षित निधि	
	2. आरक्षित पूँजी (नीचे दिए गए नोट को देखें)	
	3. शेयर प्रीमियम	
	4. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (इस मास्टर निदेश के पैरा 6.1.1(एफ) को देखें)	
	5. निर्बंध आरक्षित निधि	
	6. लाभ और हानी खाते में शेष *	
	(सी) बेमियादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	
	कुल स्तर 1 पूँजी	
	नोट: आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष को दर्शाने वाली आरक्षित पूँजी और जो एक अलग खाते में रखे गए हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा।	
	सामान्य/अस्थायी प्रावधान और ऋण हानियों और अन्य आस्ति हानियों या किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए किए गए विशेष प्रावधान पूँजी निधियों के रूप में नहीं माने जाएंगे। * किसी भी लाभ और हानि खाते में शेष (निवल) अर्थात्, लाभांश अदा करने, शिक्षा निधि, अन्य निधियों, जिनका उपयोग परिभाषित है और अगर कोई आस्ति हानि है, के लिए आवंटन के बाद का शेष। अगर लाभ और हानि खाते में शेष नकारात्मक है, तो उसी को घटा दिया जाएगा।	
बी	टियर 2 पूँजी के तत्व	
	(i) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि #	
	(ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	

	(iii) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (इस मास्टर निदेश के पैरा 6.1.1(एफ) को देखें)	
	कुल स्तर 2 पूंजी	
सी	कुल पूंजी निधि (ए + बी)	
II	जोखिम भारित आस्तियां	
(ए)	निधि जोखिम आस्तियों का समायोजित मूल्य, यानी तुलन-पत्र मदों का (भाग 'बी' के साथ मिलान हेतु)	
(बी)	गैर-निधिक और तुलनपत्रत्रेतर मदों के समायोजित मूल्य (भाग 'सी' के साथ मिलान हेतु)	
(सी)	कुल जोखिम-भारित आस्तियां (ए+ बी)	
III	जोखिम-भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधियों का प्रतिशत [आई(सी) / II(सी)]	
# मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान शामिल हैं		

भाग बी – जोखिम भारित आस्तियां अर्थात् तुलनपत्रत्रेतर मदें

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.		बही मूल्य	जोखिम-भारित	समायोजित मूल्य
I	नकदी और बैंक शेष राशि			
(ए)	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)			
(बी)	भारत में बैंकों के साथ शेष राशियाँ			
	(i) आरबीआई के साथ शेष राशियाँ			
	(ii) बैंकों के साथ शेष राशियाँ			
	ए. चालू खाता (भारत में और भारत के बाहर)			
	बी. अन्य खाते (भारत में और भारत के बाहर)			
	सी. अन्य आरबीआई के साथ चालू खाता शेष			
II	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
III	निवेश			
	(ए) सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ *			
	(बी) अन्य (दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
IV	अग्रिम **			

क्र. सं.		बही मूल्य	जोखिम-भारित	समायोजित मूल्य
	ऋण और अग्रिम, खरीदे और भुनाए गए बिल और अन्य क्रेडिट सुविधाएं			
	(ए) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे			
	(बी) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे			
	(सी) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे			
	(डी) राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे			
	(ई) अन्य			
	नोट: 1. निवल निर्धारण केवल उन अग्रिमों के लिए किया जा सकता है जो नकद मार्जिन या जमा द्वारा संपार्श्विकीकृत हैं और उन आस्तियों के संदर्भ में जहां अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए मूल्यहास प्रावधान किया गया है। 2. जिन अमूर्त आस्तियों के लिए हानियों को स्तर 1 पूंजी से घटाया गया है, उन्हें शून्य भार सौंपा जाना चाहिए।			
V	परिसर(दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
VI	फर्नीचर और जुड़नार (दिए गए मूल्यहास को घटाकर)			
VII	अन्य आस्तियां (शाखा समायोजन, गैर-बैंकिंग आस्तियों आदि सहित)			
	कुल			
<p>*, यदि कोई प्रावधान, सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेशों में मूल्यहास के लिए किया गया है, तो उसे एक फुटनोट के माध्यम से शामिल किया जा सकता है।</p> <p>* अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए किया गया प्रावधान, चाहे सामान्य हों या विशेष, को फुटनोट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।</p>				

भाग सी – जोखिम भारित अनिधिक एक्सपोजर/तुलनपत्र बाह्य मदें

प्रत्येक तुलनपत्र बाह्य मदों को नीचे दर्शाए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(राशि रु. करोड़ में)

मद की प्रकृति	बही मूल्य	संपरिवर्तन कारक	समान मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य

इन निदेशों द्वारा निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

1. पूर्ण रूप से निरस्त किए गए परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र	दिनांक	विषय
1	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.44/05.03.095/2007-08	28 दिसंबर 2007	2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुप्रयोग
2	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.60/03.05.33/2013-14	26 नवंबर 2013	आरआरबी के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता के मानदंड का 9% लागू करना
3	आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.35/03.05.33/2014-15	21 अक्टूबर 2014	सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार
4	विवि.आरआरबी.सं.21/31.01.001/2019-20	01 नवंबर 2019	आरआरबी के लिए विनियामक पूंजी बढ़ाने हेतु अतिरिक्त लिखतों को जारी करना

2. आंशिक रूप से निरस्त किये गये परिपत्रों की सूची (केवल आरआरबी से संबंधित भागों के लिए)

क्र.सं.	परिपत्र	दिनांक	विषय
1	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.17/21.06.001/2019-20	12 सितंबर 2019	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार
2	विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20	21 जून 2020	एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना
3	विवि.सीएपी.आरईसी.सं.97/21.06.201/2021-22	31 मार्च 2022	अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
4	विवि.एमआरजी.आरईसी.64/00-00-005/2022-23	11 अगस्त 2022	अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग - विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में संशोधन
5	विवि.एसटीआर.आरईसी.67/21.06.201/2022-23	07 सितंबर 2022	विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - ऋण गारंटी योजनाओं (सीजीएस) द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार
6	विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24	16 नवंबर 2023	उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा-निर्देश
7	विवि.सीआरई.आरईसी.63/21.06.001/2024-25	25 फरवरी 2025	सूक्ष्म वित्त ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा